

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2371

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

कर्नाटक में नाबार्ड फंड

2371. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कर्नाटक राज्य में नाबार्ड योजना के माध्यम से कम धनराशि जारी किए जाने की शिकायतें हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) नाबार्ड योजना के लिए मानदंड/दिशानिर्देश क्या हैं;
- (ग) नाबार्ड ऋण सुविधा के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं पात्र हैं;
- (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सतत एवं समरूप कृषि तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा कर्नाटक राज्य को जारी ऋण का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) कौशल विकास के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (च) कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): बैंकिंग प्रणाली से अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में, जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। बैंकों द्वारा पीएसएल लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कमी होने की स्थिति में, वित्तीय संस्थानों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों के वित्तपोषण के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), पीएसएल कमी कोष (कॉर्पस) से वार्षिक आवंटन प्राप्त करता है, जिससे वह राज्यों को धनराशि जारी करता है।

हाल के वर्षों में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य को पूरा करने में बैंकों के बेहतर प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, पीएसएल कमी कोष में गिरावट आ रही है।

पीएसएल कमी कोष में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए, संस्थानों की मांग, सरकार की प्राथमिकताओं और पिछले वर्षों के दौरान निधियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए पीएसएल से विभिन्न निधियों के अंतर्गत आवंटन को युक्तिसंगत बनाया गया था। अल्पकालिक मौसमी कृषि कार्यों (एसटी (एसएओ)) के लिए आवंटित निधियों में कमी के परिणामस्वरूप, नाबार्ड द्वारा कर्नाटक को आवंटित धनराशि में भी कमी आई है।

नाबार्ड देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (अल्पावधिक और दीर्घावधि दोनों) के लिए पुनर्वित्त करना, सहकारी बैंकों के लिए प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता, अवसंरचना वित्तपोषण के लिए नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ), वेयरहाउस अवसंरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ), जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) आदि शामिल हैं। पात्रता मानदंड योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार तय किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा कर्नाटक सरकार को स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ड) और (च): नाबार्ड विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे की ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता (एसडीईआरवाई), महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के लिए सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) और महिला एसएचजी सदस्यों के लिए आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं में कौशल विकास और उद्यमिता का समर्थन करता है। नाबार्ड विशेष रूप से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कोई निश्चित आबंटन नहीं करता है। हालांकि, उच्चतर अपेक्षाओं की स्थिति में, पात्रता, प्रासंगिकता और उन योजनाओं की मांग के आधार पर प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

अनुबंध-I

दिनांक 15.12.2025 को उत्तर के लिए नियत "कर्नाटक में नाबार्ड निधि" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2371 के भाग (क से (घ) में उल्लिखित ब्यौरा

पिछले तीन वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

उत्पाद/योजना	2022-23	2023-24	2024-25
कुल दीर्घकालिक पुनर्वित्त	9378.1	11479.6	7128.37
कुल अल्पकालिक पुनर्वित्त	14726	14726	14313.6
प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता (डीआरए) (सहकारी बैंक)	532	892.09	1430.71
नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए)	97.39	1362.27	1020.30
ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)	1367.76	1727.50	2408.11
सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ)	-	110.23	49.63
वेयरहाउस अवसंरचना निधि (डब्लूआईएफ)	46.07	-	-
